उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

11 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 899 / XX–7 / 2018–01(40)2014–श्री राज्यपाल महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड पुलिस (असाधारण पेंशन) (संशोधन) नियमावली,2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस (असाधारण पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–2 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 में, (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के खण्ड(ड़) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ड़) " पुलिस कर्मचारी" का तात्पर्य पुलिस एक्ट, 1861 की धारा (2) के अधीन संघटित पुलिस बल के सदस्य और 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं0–40, सन्–1948 ई0) के सदस्य से है।	(ड़) " पुलिस कर्मचारी" का तात्पर्य उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा– 3 के अधीन संघटित पुलिस बल के सदस्य और उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2016 की धारा–3 के अधीन संगठित अग्निशमन सेवा बल के सदस्य से है।

नियम–3 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3– यह नियमावली राज्यपाल के बनाये नियम से नियंत्रित होने वाले स्थायी या अस्थायी रूप से सेवायोजित सभी पुलिस	

अधिकारियों और कर्मचारियों (राजपत्रित/अराजपत्रित दोनों) पर लागू होगी जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में या किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के दौरान मारे जाय या जिनकी मृत्यु हो जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय दिया गया हो, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जायेगा और न यू.पी. लिबर लाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू.पी. रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स, 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू.पी. कन्ट्रीव्यूटरी पेंशन फण्ड के अधीन सरकारी अंशदान दिया जायेगा।

3– यह नियमावली राज्यपाल के बनाये नियम से नियंत्रित होने वाले उत्तराखण्ड के सभी राजपत्रित/अराजपत्रित पुलिस, पी.ए.सी तथा अग्निशमन सेवा कार्मिकों पर लागू होगी चाहे वे स्थायी या अस्थायी रूप में नियोजित किये गये हो, जिनकी मृत्यु कर्तव्य के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन हुई हो:–

(क)डाकुओं/अपराधियों/विदेशी शत्रु/उग्रवादियों /आतंकवादियों/नक्सलियों आदि के आक्रमण/ लड़ाई के कारण मृत्यु,

(ख) हिसांत्मक/आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करते हुए मृत्यु होने पर।

(ग) महत्वपूर्ण प्रशिक्षण/प्रदर्शन से गुजरने के दौरान दुर्घटना से मृत्यु

(घ)प्राकृतिक/दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़/ भूकम्प / भूस्खलन/बर्फीले तूफान के दौरान जनमानस की रक्षा/बचाव करते हुए मृत्यु होने पर

(ड़) किसी भी क्षेत्र में आग बुझाने में जनमानस की रक्षा/बचाव करते हुए मृत्यु होने पर

(च) कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आक्रमण के कारण मृत्यु होने और

(छ) कैदी अनुरक्षा के दौरान आक्रमण के कारण मृत्यु पर।

नियम–6 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6– अभिनिर्णय की धनराशि इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार ऐसे पुलिस कर्मचारी की विधवा को स्वीकृत की जायेगी, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा उसकी मृत्यु हो जाय अथवा वह पुनर्विवाह कर ले तो अवयस्क बच्चे ऐसी घटना के दिनांक से	6– कोई अभिनिर्णय इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार ऐसे पुलिस पी.ए.सी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी की विधवा/विधुर/आश्रित को स्वीकृत किया जायेगा, जिन पर यह नियमावली लागू होती हो। यदि मृत पुलिस कर्मचारी पी.ए.सी. कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी का/की पत्नी/पति जीवित न हो अथवा मृत्यु हो जाय अथवा पुनर्विवाह कर ले तो, ऐसी घटना की दशा में आश्रित अवयस्क बच्चे ऐसी पूरी पेंशन पाने के हकदार होगें, जो विधवा/विधुर को अनुमन्य होती और इसे उत्तराखण्ड प्रदेश

ऐसी पुरी पेंशन पाने के हकदार होगें, जो विधवा को अनुमन्य होती और यह उनमें बराबर–बराबर बाट दी जायेगी। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा यदि जीवित हो किन्तु उसे आनुतोषितक का भुगतान उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह से पहले न किया गया हो तो आनुतोषिक जो विधवा को अनुमन्य होता उन बच्चों में बराबर बांट दिया जायेगा, जो पेंशन के हकदार हों।

टिप्पणीः– यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अभिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।

पारिवारिक पेंशन नियमावली के सामान्य दिशा–निर्देश के अनुसार वितरित किया जायेगा।

टिप्पणीः– यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अभिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।

नियम–8 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8(1)– पारिवारिक पेंशन, पुलिस कर्मचारी के मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनांक से प्रभावी होगी जो राज्यपाल निश्चित करें।	8(1)– पारिवारिक पेंशन, पुलिस कर्मचारी पी.ए.सी. कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनांक से प्रभावी होगी जो राज्यपाल निश्चित करें।
8(2)– पारिवारिक पेंशन साधारणतयाः– (1) विधवा अथवा माता अथवा विधवा दादी की दशा में उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक इसमें जो भी पहले हो, (2) अवयस्क पुत्र या अवयस्क आश्रित भाई की दशा में उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा उसकी मृत्यु हो जाने तक, इसमें जो भी पहले हो,	(2) संबंधित पुलिस कर्मचारी, पी.ए.सी. कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी के आश्रित की पारिवारिक पेंशन उत्तराखण्ड पारिवारिक पेंशन नियमावली के सामान्य दिशा–निर्देशों के अनुसार निश्चित की जायेगी।

(3) अविवाहित अवयस्क पुत्री अथवा अवयस्क आश्रित अविवाहित बहिन की दशा में, उसका विवाह होने तक अथवा उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा मृत्यु तक, इसमें जो भी पहले हो,

(4) पिता या दादा की दशा में जीवन पर्यन्त चालू रहेगी।

टिप्पणीः– विधवा को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन पुनर्विवाह होने पर बन्द कर दी जायेगी, किन्तु जब ऐसा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अभित्याग (Desertion) अथवा दूसरे पति की मृत्यु हो जाने से रदद् हो जाय तो उसकी पेंशन इस प्रमाण पर फिर बहाल की जा सकती है कि उसकी परिस्थितियों के कारण उसे पेंशन देना आवश्यक है और वह अन्य प्रकार से पात्र है और वह अपने पहले पति (अर्थात मृत पुलिस कर्मचारी) के बच्चों का भरण–पोषण करती है और उसकी पेंशन फिर बहाल कर दिये जाने पर बच्चों को अनुमत पेंशन दिया जाना बन्द कर दिया जायेगा।

नियम–9 का संशोधन

6. मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के उप नियम–(2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2)– जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिए दावा उत्पन्न हो जाय तो उस कार्यालय व उस विभाग का अध्यक्ष, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी सेवायोजित रहा हो, सामान्य माध्यम से निम्नलिखित लेख्यों के साथ उस दावे को राज्य सरकार के पास भेजेगाः– 1 उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें मृत्यु हुई है, 2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड की इस आशय की एक रिपोर्ट कि क्या नियमावली के अधीन अभिनिर्णय अनुमन्य है अथवा नहीं और यदि अनुमन्य है तो कितने धनराशि का।	(2)– जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिए दावा उत्पन्न हो जाय, तो उस कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी, पी.ए.सी कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी सेवायोजित था, उचित माध्यम से, उन परिस्थितियों के पूरे विवरण सहित जिनके कारण मृत्यु हुई, दावा शासन को अग्रसारित करेगा।

नियम–10 का संशोधन

7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10– राज्यपाल स्वविवेक से अपवादित परिस्थितियों में मृत पुलिस कर्मचारी के बच्चों को नियम–8(दो) (2) (3) में नियत सीमाओं के बाद भी अपनी पेंशन पाने के अनुज्ञा दे सकते है।	(10)–राज्यपाल स्वविवेक से आपवादिक परिस्थितियों में मृत पुलिस कर्मचारी, पी.ए.सी. कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी के आश्रितों को नियम 8(2) में विहित सीमा से परे अपनी पेंशन प्राप्त करने की निरन्तरता की अनुमति दे सकते है।

नियम–11 का अन्तः स्थापन

8. मूल नियमावली में नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम–11 अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा अर्थात –

11.(1) असाधारण पेंशन के अस्वीकृत किये गये दावों पर पुनर्विचार का अधिकार शासन में निहित होगा। इसके लिए आश्रित को अस्वीकृति की अधिसूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर शासन अथवा पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शासन प्रत्यावेदन पर आवश्यक निर्णय लेगा।

(2) किसी भी पुलिस कर्मचारी ,पी.ए.सी. कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी को असाधारण पेंशन देय नहीं होगी यदि डयूटी ग्रहण करने के लिए उपस्थित होने से पूर्व या उसकी अपनी डयूटी समाप्त करने के बाद किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, जब कि वह अपने आवास पर हो अथवा जब किसी स्थान के लिए यात्रा कर रहा/रही हो।

(3) उत्तराखण्ड (असाधारण पेंशन) (संशोधन) नियमावली 2018 की अधिसूचना के पश्चात् असाधारण पेंशन के मामलों के निस्तारित करने से सम्बन्धित सभी शासनादेश यथा शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 1980 और 19 जुलाई 1978 अप्रभावी हो जायेगें।

अनुसूची का संशोधन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान अनुसूची पारिवारिक पेंशन और आनुतोषिक		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची पारिवारिक पेंशन और उपदान	
विधवा को आनुतोषिक	विधवा को पेंशन	विधवा/विधुर को उपदान	विधवा/विधुर की पेंशन
मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा	मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उस दिनांक तक	मृत पुलिस कर्मचारी पी.ए.सी.	(1) देय असाधारण पेंशन मृत पुलिस कर्मचारी, पी.ए.सी.

अन्तिम बार ली गयी आठ माह के बराबर उपलब्धियों।

ली गयी उपलब्धियों के बराबर जब वह अधिवार्षिक पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाता तत्पश्चात् पेंशन उस धनराशि के बराबर हो जायेगी, जो मृत पुलिस कर्मचारी, यदि उसकी मृत्यु न हो गयी होती तो पुलिस कर्मचारियों पर तत्समय लागू साधारण पेंशन नियमों के अनुसार लेता किन्तु ऐसा निम्नलिखित पूर्व धारणाओं के रहते हुए होगाः–

क–मृत पुलिस कर्मचारी अधिवार्षिकी के दिनांक तक अर्हकारी सेवा करता रहा और उसे कोई पदोन्नति नहीं मिली थी।

ख– यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था तो उसके स्थायीकरण से सम्भाव्य दिनांक की पूर्व धारण कर ली जायेगी।

यदि मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार जिस वेतन क्रम पर कार्य किया हो वह उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर दिया जाय, जिस दिनांक को वह अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस पूर्व धारित वेतन पर की जायेगी जो मृत कर्मचारी यदि वह जीवित होता तो अधिवार्षिकी के समय लेता।

तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी द्वारा अन्तिम आहरित की गयी आठ माह के बराबर परिलब्धिया।

तथा अग्निशमन सेवा के कर्मचारी द्वारा आहरित उस दिनांक के पेंशन की परिलब्धियों (मूल वेतन और उस वेतन पर महगाई भत्ता) के बराबर होगी, जो वह अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त करता। उसके बाद साधारण पेंशन (पारिवारिक पेंशन नहीं) निम्नलिखित उपधारणाओं के अध्यधीन उस धनराशि के बराबर होगी जो मृत पुलिस कर्मचारी तत्समय पुलिस कर्मचारियों पर लागू साधारण पेंशन नियमावली के अनुसार आहरित करता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होतीः–

(क़) यह कि मृत पुलिस कर्मचारी अधिवर्षता के दिनांक तक अर्हकारी सेवा में निरन्तर बने रहता और वह कोई पदोन्नति प्राप्त नहीं करता।

(ख) यह कि यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा स्थानापन्न हैसियत से काम कर रहा था, उसके स्थायीकरण का सम्भावित दिनांक उपधारित कर लिया जायेगा। यदि वेतनमान जिस पर मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार काम किया था उस दिनांक तक पुनरीक्षित व दिया जाता है जिससे वह अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस

उपधारित वेतन में की जायेगी जो मृत कर्मचारी अधिवर्षता के समय आहरित करता, यदि वह जीवित रहा होता।

यदि ऐसे आश्रित है जो एक से अधिक असाधारण पेंशन आहरित कर रहे है तो उन्हें उसी तरीके से पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(2) असाधारण पेंशन नियमावली जो सरकारी अर्द्धसरकारी स्वायतशासी संस्था अथवा किसी लोक उद्यम में काम कर रहा/रही है तो वह विकल्प दे सकता/सकती है कि वह पेंशन धनराशि पर मंहगाई भत्ता लेना चाहता/चाहती है अथवा अपने वेतन पर, जो भी अपेक्षाकृत लाभपद हो।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव, गृह।